।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

<u>कैम्प – ग्राम पंचायत गुजूकी</u>

राजस्व अपील सं० 5/11/2021 *तारीख रज्जू 23.06.2021*

01– *श्रीमती वसन्ती देवी पत्नी श्री ईश्वरीलाल उम्र करीब 64 साल,* जाति वैरवा निवासी ग्राम रूपवास तहसील व जिला अलवर –अपीलाण्ट

बनाम

01– ग्राम पंचायत भजीट जरिये सरपंच ग्राम पंचायत भजीट तहसील व जिला अलवर

02– ग्राम पंचायत गुजूकी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गुजूकी तहसील व जिला अलवर

03– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) अलवर

–रेस्पोडेण्टान

<u>अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 13.11.2017 ग्राम पंचायत भजीट</u>

–: निर्णय :– दिनांक: 09.11.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह अपील विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत भजीट तहसील व जिला अलवर के निर्णय दिनांक 13.11.2017 इंतकाल संख्या 599 के विरूद्ध पेश की गई है। अपीलाण्ट की आराजी ग्राम सालपुरी तहसील अलवर में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 370 रकबा 0.96 है० वाके ग्राम सालपुरी तहसील व जिला अलवर में रोहिताश पुत्र चन्दर जाति जाटव निवासी ग्राम सालपुरी का हिस्सा 0.19 है० था, रोहिताश पुत्र चन्दर ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 24.04.2017 को 4,42,000/– रूपये में अपीलाण्ट बसन्ती पत्नी ईश्वरी लाल जाति बैरवा निवासी ग्राम रूपबास तहसील अलवर को बेचान कर दिया, जो बैयनामा दिनांक 25.04.2017 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1128 में पृष्ठ

उप खण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

संख्या 56 के क्रम संख्या 201703069100808 पर उप पंजीयक स्टाम्प व मुद्राक अलवर द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। बैयनामे में बेचान की गई भूमि के पडोसियान तरफ पूर्व में जमीन गंगासहाय तरफ पश्चिम जमीन कालू, तरफ उत्तर रास्ता व तरफ दक्षिण अन्य खसरा नम्बर अंकित किये गये है। आराजी खसरा नम्बर 370 के 4 खातेदार है, जिन्होने आपसी सहमति से मौके पर बटवारा किया हुआ है। अपीलाण्ट अपनी खरीदशुदा आराजी पर खरीद की दिनांक से काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। ग्राम पंचायत भजीट ने मौके पर विवाद होने एवं बटवारा नही होने के कारण, इंतकाल संख्या 599 गलत रूप से अस्वीकार किया है। ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाण्ट को ना तो किसी प्रकार का कोई नोटिस दिया गया, ना ही बुलाया/सुना गया। विक्रेता रोहिताश पुत्र चन्दर को भी कोई नोटिस जारी नही किया, ना ही पटवारी हल्का से भी कोई रिपोर्ट ली गई। ग्राम पंचायत ने आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नही की। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। मौके पर ना तो किसी प्रकार का कोई विवाद है ना था। आराजी खसरा नम्बर 370 के अन्य सहखातेदार हरिकिशन ने अपना कुछ हिस्सा कालू पुत्र सम्पत को बेच दिया था, जिसका इंतकाल दर्ज कर लिया गया था। ग्राम पंचायत भजीट ने जानबूझ कर विधि के प्रावधानों के विपरीत अपीलाण्ट का इन्तकाल अस्वीकार किया है व पक्षपात पूर्व रवैया अख्तयार किया है। ग्राम पंचायत भजीट द्वारा गलत रूप से इन्तकाल अस्वीकार किये जाने से अपीलाण्ट के हक हकूक जायल होते है। राजस्व रिकार्ड में विक्रेता रोहिताश का नाम होने का वह नाजायज लाभ उठा सकता है। अपीलाण्ट द्वारा आज्ञा ग्राम पंचायत भजीट निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टान को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से श्री शकूर खान, एडवोकेट ने अपना वकालतनामा पेश किया।

पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में कैम्प ग्राम पंचायत गुजूकी में पेश हुई। सरपंच, ग्राम पंचायत गुजूकी को अपील की नकल दी गई एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये। तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट के अनुसार, मुताबिक ऑनलाईन जमाबन्दी ग्राम सालपुरी के आराजी खसरा नम्बर 370 रकबा 0.96 है० किस्म बारानी दोयम कालू पुत्र सम्पत हि० 5/12, गंगा संहाय पुत्र चन्दर हि० 1/3, रोहिताश पुत्र चन्दर हि० 19/96, हरिकिशन पुत्र चन्दर हि०

उप खण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

5/96 जाति जाटव खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जरिये रजिस्टर्ड बैयनामे के रोहिताश पुत्र चन्दर जाति जाटव हिस्सा 19/96 साकिन देह खातेदार ने अपना हिस्सा दसन्ती पत्नी ईश्वरी लाल जाति बैरवा साकिन रूपवास तहसील अलवर के पक्ष में बेचान कर दिया। जिसका नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा 599 संख्या पर नामान्तकरण जिल्द में दिनांक 11.09.2017 को दर्ज कर दिया था। उक्त नामान्तकरण संख्या 599 किस्म बेचान वाके ग्राम सालपुरी को 13.11.2017 को ग्राम पंचायत मीटिंग में पेश किया गया। जिसे सरपंच साहब द्वारा अस्वीकार किया गया है।

पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात फोटोप्रति बैयनामा दिनांक 25.04.2017, इन्तकाल संख्या 599, जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत भजीट के आदेश दिनांक 13.11.2017 अपास्त किया जाता है। पटवारी हल्का द्वारा दर्ज इबारत स्वीकार की जाती है। इन्तकाल तस्दीक किया जाकर तहसीलदार अलवर को आदेश दिये जाते है कि मुताबिक निर्णय राजस्व कागजात में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत गुजूकी में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सौठवाल)
उप खण्ड अधिकारी
अलवर

उप खण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)